

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 800(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), (झ), (ञ) और (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-** इन नियमों को धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) **चौथा** संशोधन नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में, नियम 2 में, उप नियम (1) में, खंड (च क) में:-

(क) उपखंड (iii) के लिए निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(iii) बहुमूल्य धातुओं और बहुमूल्य रत्नों के डीलरों के संबंध में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड।”

(ख) उपखंड (iii) के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, नामतः;

“(iv) रियल इस्टेट एजेंटों के संबंध में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड।”

[फा. सं. पी-12011/14/2020-ईएस सेल-डीओआर]

अरविंद सरन, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 444(अ), तारीख 01 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें सा.का.नि. 254(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2020 द्वारा संशोधित किए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) **Short titles and commencement:**—These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) **Fourth** Amendment Rules, 2020.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 2, in sub-rule (1), in clause (fa);-

(a) For the sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(iii) the Central Board of Indirect Taxes and Customs, constituted under Central Boards of Revenue Act, 1963, with respect to the dealers in precious metals and precious stones.”

(b) After the sub-clause (iii) as so substituted, the following sub-clause shall be inserted, namely;

“(iv) the Central Board of Indirect Taxes and Customs, constituted under Central Boards of Revenue Act, 1963, with respect to the real estate agents.”

[F. No. P-12011/14/2020-ES Cell-DOR]

ARVIND SARAN, Director

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended by number G.S.R. 254 (E), dated the 16th April, 2020.